रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244029
CG-DL-E-01032023-244029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

सा.का.नि. 161(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेटेंट कार्यालय वर्ग IV भर्ती नियम 1958, पेटेंट कार्यालय (वर्ग III) भर्ती नियम, 1962 को, जहां उनका संबंध सहायक **उच्च** श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (जिसके अंतर्गत प्रभारी लिपिक और आशुलिपिक – टंकक भी हैं) तथा पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी II (समूह 'ग' अराजपत्रित – अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय के पेटेंट कार्यालय में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (पेटेंट कार्यालय, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.** –पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हता.** – वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति. - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक श्रेणी II	*2 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर 4 (रू. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण मानदंड: श्रुतिलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट और प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। **टिप्पण:-** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक – अध्यक्ष ; 2. उप सचिव – सदस्य; 3. उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	*67 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर 4 (रू.25500-81100)।	अचयन।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा

	किया जा सकता है।				सकती है)। **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। (जहां नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती हो, वहाँ आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 25 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 75 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति : पेटेंट कार्यालय के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी,- (i) जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति	पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति / विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक –अध्यक्ष ; 2. उप सचिव –सदस्य; 3. उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन – सदस्य।	लागू नहीं होता।

द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अवर श्रेणी लिपिक	*44 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर 2 (रू.19900-63200)।	अचयन।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। (जहां नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती हो, वहाँ आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। **(ii)** कंप्यूटर पर अँग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (अनुज्ञेय समय -10 मिनट)। (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटे या 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट	नहीं	दो वर्ष।	(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50

और 30 शब्द प्रति मिनट)।			वर्ष)। **टिप्पण:-** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हित होते हैं, तो ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती वर्षों में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता – सह – उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 के पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)	(12)	(13)
स्तंभ (10) में यथा वर्णित	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक – अध्यक्ष ; 2. उप सचिव – सदस्य; 3. उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. बहुकार्य कर्मचारीवृंद	*60 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 1 (रू.18000-56900)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य ।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक –अध्यक्ष ; 2. उप सचिव –सदस्य; 3. उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन –सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी-24023/1/2018-आईपीआर-I]

प्रदीप टोप्पो, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Patent Office Class IV Recruitment Rules 1958, the Patent Office (Class III) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the posts of Assistant U.D. Clerk and L.D. Clerks (including clerks in charge and Steno-typist) and the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks - Patent Office, Stenographer Grade II (Group 'C' Non-Gazetted-Ministerial) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Patent Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, under the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, namely:-

1. **Short title and commencement.–**

(1) These rules may be called the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (Patent Office, Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of the post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Stenographer Grade II.	* 2 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute and Transcription: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) on Computer.	Not applicable	Two years.	Direct Recruitment through Staff Selection Commission. **Note:-** Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director - Chairman; 2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Controller of Patents and Designs - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk.	* 67 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognized University.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 25 percent by promotion on the basis of seniority failing which by deputation failing both by direct recruitment. (ii) 75 percent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion on the basis of seniority: Lower Division Clerk in the Patent Office with eight years of regular service in the grade. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officials of the Central Government,- (i) holding analogous post on regular basis; or	Group 'C' Departmental Confirmation Committee/ Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of:- 1. Director - Chairman; 2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Controller of Patents and Designs - Member.	Not applicable.

(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications. Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination: Lower Division Clerk with five years of regular service in the grade.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lower Division Clerk.	* 44 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. (Time allowed - 10 minutes). (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word).	No.	Two years.	(i) 85 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the level 1 in pay matrix and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Schedule Caste / Schedule Tribe). **Note**:- If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the

			subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority – cum – fitness basis from Group C employees who have 3 years regular service in posts in the level 1 in pay matrix.

(11)	(12)	(13)
As stated in column (10).	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director – Chairman; 2. Deputy Secretary – Member; 3. Deputy Controller of Patents and Designs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Multi Tasking Staff.	*60 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non–Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director – Chairman; 2. Deputy Secretary – Member; 3. Deputy Controller of Patents and Designs –Member.	Not applicable.

[F. No. P-24023/1/2018-IPR-I]

PRADEEP TOPPO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA